तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/11895/2025/ब्यावर** **रामस्वरूप चौधरी बनाम इन्द्रा देवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री राजेश सिंह, सदस्य

उपस्थित

श्री अजीत सिंह भादू, अभिभाषक प्रार्थी।

निर्णय

दिनांक 28–1–2026

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील अधिकारी, पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–12–2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– हमने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस निगरानी के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुनी।

3– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषकगण ने बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है। उनका कथन है कि प्रार्थी/वादी द्वारा विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जैतारण जिला पाली के समक्ष ग्राम खराड़ी पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण जिला पाली स्थित विवादित आराजीयात बाबत् एक वाद प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त वाद के साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत् एक प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 28–7–2022 द्वारा निरस्त कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–7–2022 के विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपील के विचाराधीन रहते अप्रार्थी संख्या 12 द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 4–12–2025 द्वारा अप्रार्थी संख्या 12 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर आराजी खसरा नंबर 258, 676, 818 एवं 693 में से खसरा नंबर 818 रकबा 2.4281 हेक्टेयर की हद तक स्थगन आदेश को निरस्त कर दिया गया। उनका यह कथन है कि अप्रार्थी संख्या 12 मोहनी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के साथ किसी प्रकार का शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही राजस्व अपील अधिकारी, पाली द्वारा प्रार्थी/अपीलांट को उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर ही प्रदान किया गया। अप्रार्थी संख्या 12 एवं 13 द्वारा विवादित आराजीयात खसरा नंबर 818 में से उक्त आराजीयात का बिना बंटवारा कराये तथा वाद के विचाराधीन रहते हुए उक्त आराजीयात को क्रय कर सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन कर उक्त आराजीयात को क्रय किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/11895/2025/ब्यावर** **रामस्वरूप चौधरी बनाम इन्द्रा देवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील अधिकारी, पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–12–2025 निरस्त किया जावे। 4– हमने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। 5– हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/वादी द्वारा विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जैतारण जिला पाली के समक्ष ग्राम खराड़ी पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण जिला पाली स्थित विवादित आराजीयात बाबत् एक वाद प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त वाद के साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत् एक प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 28–7–2022 द्वारा निरस्त कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–7–2022 के विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपील के विचाराधीन रहते अप्रार्थी संख्या 12 द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 4–12–2025 द्वारा अप्रार्थी संख्या 12 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर यह आदेश पारित किया कि– ''प्रार्थिया द्वारा ग्राम खराड़ी में स्थित वादग्रस्त आराजीयात में से खसरा संख्या 818 में से पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनांक 26–4–2021 को क्रय किया गया। प्रकरण में वादग्रस्त आराजीयात के विभाजन से संबंधित वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार है तथा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 23–8–2022 के अनुसार अंतरिम स्थगन जैरकार है। स्थगन के कारण क्रेता के पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही नहीं हो रही हैं तथा वादपत्र विभाजन से संबंधित है। ऐसी स्थिति में जब तक क्रेता के पक्ष में नामांतरण होकर क्रेता बतौर सहखातेदार दर्ज नहीं हो जाता, तब तक विभाजन के वादपत्र में पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं हो सकता तथा इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र का सम्यक निस्तारण नहीं किया जा सकता। चूंकि पंजीकृत विक्रय–विलेख न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम स्थगन से पूर्ववर्ती है तथा केवल खसरा संख्या 818 से संबंधित है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 818 के संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा पारित अंतरिमस्थगन दिनांक 23–8–2022 को अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/11895/2025/ब्यावर** **रामस्वरूप चौधरी बनाम इन्द्रा देवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अतः रेस्पोंडेंट प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र सारवान होने से स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा राजस्व अपील संख्या 96/2022 बउनवान रामस्वरूप चौधरी बनाम इन्द्रादेवी वगैरह में पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 23–8–2022 को वादग्रस्त आराजीयात ग्राम खराड़ी तहसील जैतारण के खसरा संख्या 258, 676, 818 एवं 693 में से खसरा संख्या 818 रकबा 2.4281 की हद तक अपास्त किया जाता है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 23–8–2022 सक्षम न्यायालय द्वारा की जा रही विभाजन की कार्यवाही के संबंध में प्रभावशील नहीं रहेगा। शेष आदेश यथावत रहेगा। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु दिनांक 29–1–2026 को पेश हों।''

उक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश है। इसमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतया अन्तरिम आदेश है, जो निर्णित प्रकरण की श्रेणी में नहीं आता है। माननीय राजस्व मण्डल के ''जगदीश प्रसाद बनाम भोपालराम'' निगरानी संख्या 9867/2012/नागौर के प्रकरण में माननीय पूर्णपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि इस प्रकार के अन्तरिम आदेश की निगरानी राजस्व मण्डल में पोषणीय नहीं है। अतः यह निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

6– अतः उक्त विवेचन के फलस्वरूप यह निगरानी पोषणीय नहीं होने से ग्राह्यता के स्तर पर खारिज की जाती है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि वे उक्त एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण उभय पक्ष को सुनकर आवश्यक रूप से गुणावगुण पर 2 माह की अवधि के भीतर किया जाना सुनिश्चित करें। न्यायहित में तब तक उभयपक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के खसरा नंबर 818 पर मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 16–2–2026 को उपस्थित हों ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(राजेश सिंह)

सदस्य